# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान–2018 अटल सेवा केन्द्र सरली

क्रमांक रीडर / 2018 / दिनांक –

| प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1 खेमाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर। | | 1 धुड़ा पुत्र खेता वगैराह जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) तहसील व जिला बाड़मेर। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत**

राजस्व आवेदन संख्या :– 18 / 2018 दिनांक–03.05.2018

## आदेश

**उपर्युक्त**, प्रकरण मौजा मूले का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 390 रकबा 0.10 बीघा खसरा संख्या 636 / 392 रकबा 63.10 बीघा कुल रकबा 64.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस / पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर / 2017 / बाड़मेर दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. खेमाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी धुड़ा पुत्र खेता वगैराह जाति जाट निवासी मूले का तला (सरली) तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

Scanned by CamScanner